रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27102025-267160
CG-DL-E-27102025-267160

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4677] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 22, 2025/आश्विन 30, 1947
No. 4677] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 22, 2025/ASVINA 30, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(राजमार्ग प्रशासन)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4814(अ).—केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से राजमार्ग प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में का.आ. 3293(अ), तारीख 16 सितम्बर, 2019 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित अधिकारियों को, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में वर्णित राजमार्ग प्रशासन की अधिकारिता के आयाम के संबंध में राजमार्ग प्रशासन की शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करने के लिए नियुक्त करता है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	अधिकारी	राजमार्ग, राजमार्ग प्रशासन की अधिकारिता के आयाम
(1)	(2)	(3)
1.	महानिदेशक (सड़क विकास) और विशेष सचिव, सड़क परिवहन और	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा उसकी परियोजना कार्यान्वयन यूनिट राज्य लोक निर्माण विभाग तथा सीमा सड़क संगठन और किसी अन्य सहयुक्त अवसंरचना के माध्यम से प्रत्यक्ष

	राजमार्ग मंत्रालय	रूप से विकसित तथा अनुरक्षित राजमार्गों और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड में न्यस्त न हुई प्रसुविधाओं के लिए
2.	अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	समय-समय पर विकास तथा रख-रखाव के लिए तथा सहयुक्त अवसंरचना और प्रसुविधाओं के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में न्यस्त राजमार्गों के लिए
3.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड	समय-समय पर विकास तथा रख-रखाव के लिए तथा सहयुक्त अवसंरचना और प्रसुविधाओं के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड में न्यस्त राजमार्गों के लिए
4.	सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, जिनमें राष्ट्रीय राजमार्ग का विकास, प्रचालन तथा रख-रखाव न्यस्त है, को अपवर्जित करते हुए राज्य लोक निर्माण विभाग/सड़क निर्माण विभाग या किसी अन्य विभाग की क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार विशिष्ट रूप से किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में आने वाले राजमार्ग
5.	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के क्षेत्रीय अधिकारी	भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार विशिष्ट रूप से किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में आने वाले राजमार्ग
6.	राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक	राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की क्षेत्रीय अधिकारिता के अनुसार विशिष्ट रूप से किसी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में आने वाले राजमार्ग

[फा. सं. एनएच-11014/169/2025-एचए]

विनय कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

(HIGHWAY ADMINISTRATION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21nd October, 2025

S.O. 4814(E).—In exercise of the powers conferred by section 20 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003) and in supersession of the notification of the Ministry of Road Transport and Highways published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) *vide S.O.3293* (E), dated the 16th September, 2019, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Highway Administration with the approval of the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (2) of the Table below to exercise the powers and functions of Highway Administration in respect of length and limits of jurisdiction of Highway Administration mentioned in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

Sr. No.	Officer	Highways, length and limits thereof jurisdiction of Highway Administration
(1)	(2)	(3)
1.	Director General (Road Development) and Special Secretary, Ministry Road Transport and Highways	For the Highways developed and maintained directly by Ministry of Road Transport and Highways through its Project Implementation Units, the State Public Works Departments and the Border Roads Organisation and any other associated infrastructure and facilities not entrusted to National

		Highways Authority of India and National Highways Infrastructure Development Corporation Limited
2.	Chairman, National Highways Authority India	For the Highways entrusted to the National Highways Authority of India for development and maintenance from time to time and the associated infrastructure and facilities
3.	Managing Director, National Highways Infrastructure Development Corporation Limited	For the Highways entrusted to the National Highways Infrastructure Development Corporation Limited for development and maintenance from time to time and the associated infrastructure and facilities
4.	Regional Officers of Ministry of Road Transport and Highways	Highways falling in particular state/ Union Territory as per territorial jurisdiction of State Public Works Department / Road Construction Department or any other Department excluding the National Highways Authority of India and the National Highways Infrastructure Development Corporation Limited to whom development, operation and maintenance of National Highway is entrusted.
5.	Regional Officers of National Highway Authority of India	Highways falling in particular state/ Union Territory as per territorial jurisdiction of the National and Highways Authority of India
6.	Executive Directors of national Highways Infrastructure Development Corporation Limited	Highways falling in particular state / Union Territory as per territorial jurisdiction of National Highways Infrastructure Development Corporation Limited

[F. No. NH-11014/169/2025-HA]

VINAY KUMAR, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4815(अ).—केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से राजमार्ग प्रशासन, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित अधिकारियों को, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में वर्णित राजमार्ग प्रशासन की अधिकारिता के आयाम के संबंध में राजमार्ग प्रशासन की शक्तियों और कृत्यों के प्रयोग के लिए नियुक्त करता है, अर्थात्:-

सारणी

क्रम सं.	अधिकारी	राजमार्ग, राजमार्ग प्रशासन की अधिकारिता के आयाम
(1)	(2)	(3)
1.	राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, प्रचालन और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी प्रभागीय कार्यालय/ परियोजना कार्यान्वयन इकाई या समतुल्य कार्यान्वयन स्थल कार्यालय की अध्यक्षता करने वाला कार्यकारी अभियंता/ परियोजना निदेशक/ महाप्रबंधक/ उप महाप्रबंधक या कोई अन्य समतुल्य स्तर का अधिकारी	राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास, प्रचालन और रख-रखाव के लिए उत्तरदायी विशिष्टतया प्रभागीय कार्यालय/ राज्य लोक निर्माण विभाग के राष्ट्रीय राजमार्ग खंड की परियोजना कार्यान्वयन यूनिट/ राज्य सरकार सड़क निर्माण विभाग/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड या किसी अन्य प्राधिकरण में आने वाले राजमार्ग।

[फा. सं. एनएच-11014/169/2025-एचए]

विनय कुमार, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21nd October, 2025

S.O. 4815(E).—In exercise of the powers conferred by section 20 of the Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003), the Highway Administration with the approval of the Central Government hereby appoints the officers mentioned in column (2) of the Table below to exercise the powers and functions of

Highway Administration in respect of length and limits of jurisdiction of Highway Administration mentioned in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

Sr.No.	Officer	Highways, length and limits thereof jurisdiction of Highway Administration
(1)	(2)	(3)
1.	Executive Engineer/ Project Director/ General Manager/ Deputy General Manager **or any other equivalent level officer** heading the Divisional Office/ Project implementation Unit or **equivalent Implementation Site office** responsible for Development, Operation and maintenance of National Highways.	Highways falling in particular Divisional Office/ Project implementation Unit of National Highway Wing of the State Public Works Department / Road Construction Department of state Government/ National Highway Authority of India/ National Highways Infrastructure Development Corporation Limited or any other authority responsible for Development, Operation and maintenance of National Highway.

[F. No. NH-11014/169/2025-HA]

VINAY KUMAR, Addl. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 2025

का.आ. 4816(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) अधिनियम, 2002 (2003 का 13) की धारा 21 के साथ पठित धारा 20 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 3293(अ), तारीख 16 सितम्बर, 2019 को अधिक्रांत करते हुए, नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित राजमार्ग प्रशासन के निमित्त कार्य करने के लिए अधिकारियों को, उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में राजमार्ग प्रशासन की अधिकारिता के संबंध में नियुक्त करती है, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	अधिकारी	राजमार्ग, राजमार्ग प्रशासन की अधिकारिता के आयाम
(1)	(2)	(3)
1.	जिला मजिस्ट्रेट	विशिष्टतया एक जिले में आने वाले सभी राजमार्ग

[फा. सं. एनएच-11014/169/2025-एचए]

विनय कुमार, अपर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 21nd October, 2025

S.O. 4816(E).—In exercise of the powers conferred under section 20 read with section 21 of The Control of National Highways (Land and Traffic) Act, 2002 (13 of 2003), and in supersession of the notifications of the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. number S.O. 3293(E) dated the 16th September, 2019 , the Central

Government hereby appoints the officers to act on behalf of Highway Administration mentioned in column (2) of the Table given below in respect of jurisdiction of Highway Administration in column (3) of the said Table, namely;-

TABLE

Sr.No.	**Officer**	**Highways, length and limits thereof jurisdiction of Highway Administration**
(1)	(2)	(3)
1.	District Magistrate	All the Highway falling in a particular District

[F. No. NH-11014/169/2025-HA]

VINAY KUMAR, Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.10.27 16:30:24 +05'30'